राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8228/2009

नारायण शंकर उपाध्याय उम्र लगभग 57 वर्ष पुत्र श्री मदन मोहन उपाध्याय, 1030/35, कुन्दन नगर, अजमेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री संदीप सिंह शेखावत
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री धीरज पलिया श्री अक्षय शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	03/02/2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	23/02/2023

रिपोर्टेबल

आदेश

(1) इस याचिका में मुद्दा यह है कि *"क्या याचिकाकर्ता अपना त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद वापस ले सकता है?"*

(2) **याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को ओवरसियर** (इलेक्ट्रिकल) **के रूप में नियुक्त किया गया था और** वह 22.09.1975 को पूर्व-**सेवा प्रशिक्षु के रूप में उक्त पद पर शामिल हुआ था। इसके बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर**/ओवरसियर **के रूप में नियुक्त किया गया और** 29.9.2003 **को उन्हें सहायक अभियंता** (ई एंड एम) **के पद पर पदोन्नत किया गया।**

(3) याचिकाकर्ता ने आरएसईबी कर्मचारी सेवा विनियम, 1964 (संक्षेप में "विनियम 1964") के विनियम 18(3) के तहत दिनांक 1.8.2008 को एक नोटिस प्रस्तुत किया जिसमें (संक्षेप में "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति") "प्रभावी '15.11.2008' से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (संक्षेप में "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति") की मांग की गई। लेकिन जनशक्ति की कमी के कारण उक्त आवेदन को प्रत्यर्थी ने दिनांक 5.11.2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। उसके बाद, 10.12.2008 को फिर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए एक समान आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि उनके 80 वर्षीय पिता प्रोस्टेट से पीड़ित हैं और पत्नी गठिया (जोड़ों में दर्द) से पीड़ित हैं और अपने कर्तव्यों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण, वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण वह अवसाद में रहता है। लेकिन इस दूसरे आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने 29.1.2009 को अनुस्मारक भेजा लेकिन इन आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

(4) याचिकाकर्ता ने अपना त्यागपत्र 13.4.2009 को प्रत्यर्थी के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए।

(5) विनियम 1964 के विनियम 16 के संदर्भ में, प्रत्यर्थी ने दिनांक 14.5.2009 से प्रभावी आदेश के तहत याचिकाकर्ता का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। 16.5.2009 और आदेश दिनांक 14.5.2009 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया। आदेश दिनांक 14.5.2009 की प्राप्ति के बाद याचिकाकर्ता ने 25.5.2009 को प्रत्यर्थी को एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उससे गलती हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता को वापस सेवा में बहाल किया जाए। जब याचिकाकर्ता को सेवा में वापस बहाल नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की:-

> "इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय मामले से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को मंगाए और रिट, आदेश या निर्देश जारी करके या उसकी प्रकृति में;
>
> (i) दिनांक 5.11.2008 और 14.5.2009 के आदेशों को रद्द करें और याचिकाकर्ता को सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना जाए और उक्त तिथि से ब्याज सहित सभी परिणामी लाभ दिए जाएं;
>
> (ii) दिनांक 5.11.2008 के आदेश को रद्द करें और यह मानें कि प्रत्यर्थी उसमें उल्लिखित आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता था;

(iii) कोई अन्य आदेश या निर्देश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जाए, विनम्र याचिकाकर्ता के पक्ष में भी पारित किया जा सकता है;

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने साढ़े तैंतीस वर्ष की सेवा की और अपने पेंशन फंड में राशि का योगदान दिया। अधिवक्ता का कहना है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, याचिकाकर्ता के लिए सेवा जारी रखना संभव नहीं था, इसलिए उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रत्यर्थी ने कर्मचारियों की कमी के आधार पर इसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता का कहना है कि जब याचिकाकर्ता ने उन्हीं पारिवारिक कारणों से त्यागपत्र दिया, तो प्रत्यर्थी ने दिनांक 14.5.2009 के आदेश के तहत उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी की इस तरह की कार्रवाई से उनकी दुर्भावना की बू आती है क्योंकि एक बार याचिकाकर्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को कर्मचारियों की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, फिर प्रत्यर्थी के पास उसका त्यागपत्र स्वीकार करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था क्योंकि कर्मचारियों की कमी थी। उस समय भी. अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य सेवा लाभ पाने से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता ने विभाग में साढ़े तैंतीस वर्ष की सेवा प्रदान की है और उसके बराबर योगदान की राशि उसके वेतन से काट ली गई है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

(i) शील कुमार जैन बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2011) 12 एससीसी 197

(ii) शशिकला देवी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (2014) 16 एससीसी 260

(iii) वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री लाल मीना

(2019) 4 एससीसी 479

(iv) बिनोद कुमार सिंह बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

[एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1676/2009 पर 1.4.2022 को निर्णय लिया गया]

(7) अधिवक्ता का कहना है कि ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर, दिनांक 5.11.2008 और 14.5.2009 के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा

सकता है और प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त मानने और उसे सभी सेवाएं और परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

(8) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 13.4.2009 को आवेदन दाखिल करके त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र 14.5.2009 को स्वीकार कर लिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि विनियम 1964 के तहत त्यागपत्र वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी कार्रवाई को चुनौती देने से रोक दिया गया है और अब उसे अपने द्वारा किए गए कार्य की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने बी.एल. श्रीधर और अन्य बनाम के.एम. मुनिरेड्डी (मृत) और अन्य (2003) 2 एससीसी 355 के निर्णय पर भरोसा जताया है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(9) इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का अध्ययन किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया है।

(10) यह तथ्य विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन जनशक्ति की कमी के कारण प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब याचिकाकर्ता का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं किया गया, तो उसने 13.4.2009 को इसे स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र की मांग करते हुए एक आवेदन दिया। 16.5.2009 और आवेदन 14.5.2009 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता का त्यागपत्र 14.5.2009 से स्वीकार कर लिया गया। विनियम 1964 के विनियम 16 के संदर्भ में 16.5.2009। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'त्यागपत्र' शब्द का अर्थ कार्यालय छोड़ने या त्यागने का कार्य है। 'त्यागपत्र' गठित करने के लिए, यह बिना शर्त और इस तरह से काम करने के इरादे से होना चाहिए। वास्तव में, किसी सार्वजनिक पद को प्रभावी बनाने के लिए 'त्यागपत्र' पद छोड़ने के इरादे से त्यागपत्र के साथ दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के लिए यह बताना पर्याप्त है कि 'त्यागपत्र' का अर्थ किसी के स्वयं के अधिकार और किसी कार्यालय के संबंध में सहज त्याग है। सामान्य

तौर पर, न्यायिक अर्थ में, एक पूर्ण और ऑपरेटिव त्यागपत्र का गठन करने के लिए, मोती राम बनाम निर्णय के अनुसार कार्यालय को छोड़ने या त्यागने का इरादा होना चाहिए और इसके त्याग का सहवर्ती कार्य होना चाहिए। परम देव ने एआईआर 1993 एससी में पृष्ठ 1662 पर सूचना दी।

(11) अपने स्वयं के सही अर्थ 'त्यागपत्र' का त्याग लैटिन कहावत 'त्यागपत्र एस्ट ज्यूरिस प्रोपी स्पोंटेनिया रिफ्यूटियो' द्वारा व्यक्त किया गया है। कार्यालय के संबंध में, त्यागपत्र का अर्थ 'कार्यालय पर पकड़ खोना' या 'नौकरी छोड़ना' है। निर्विवाद रूप से, किसी विशेष कार्यालय से किसी कर्मचारी का त्यागपत्र जब अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो 'मास्टर और कर्मचारी' की स्थिति समाप्त हो जाती है। कानून में एक कर्मचारी के पास अपने त्यागपत्र की पेशकश स्वीकार होने के बाद उसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था।

(12) इस संबंध में, इस न्यायालय के लिए प्रासंगिक उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉ. प्रभा अत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय में एआईआर 2003 एससी में पृष्ठ 534 पर प्रकाशित में देखा था कि 'त्यागपत्र गठित करने के लिए त्यागपत्र बिना शर्त और इस तरह से काम करने के इरादे से होना चाहिए।' जहां कोई व्यक्ति त्यागपत्र देता है, तो ऐसी आकस्मिक स्थिति में, जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है और अधिकारियों के पास निर्णय के अनुसार उसकी सेवाएं समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आर.एन. मोहिंदरा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ने एआईआर 1953 एचपी 125 में प्रकाशित। आख़िरकार, 'त्यागपत्र' एक 'द्विपक्षीय अवधारणा' है। एक सरकारी कर्मचारी की सेवा आम तौर पर उस तारीख से समाप्त हो जाती है जिस दिन राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी एआईआर 1973 एससी, पृष्ठ 1302 में प्रकाशित के निर्णय के अनुसार अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अलावा, 'बर्खास्तगी' के लिए त्यागपत्र की स्वीकृति का कोई मतलब नहीं है।

(13) यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी लेकिन कर्मचारियों की कमी के आधार पर उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पारिवारिक कारणों से 13.4.2009 को अपना त्यागपत्र दे दिया और इसे प्रत्यर्थी ने 11.01.2009 से स्वीकार कर लिया। 16.5.2009 के आदेश दिनांक 14.5.2009 द्वारा और यह आदेश याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। आक्षेपित आदेश दिनांक

14.5.2009 की प्राप्ति के बाद, याचिकाकर्ता सेवा में नहीं रहा। याचिकाकर्ता तब तक सेवा में था जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया था। एक बार जब 14.5.2009 को उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ता को अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है और क्या उन्हें यह कहने की अनुमति दी जा सकती है कि उनके त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माना जाए और क्या उन्हें सेवा प्राप्त करने और पेंशन लाभ जैसे कि वह साढ़े तैंतीस वर्ष तक सेवा में रहे, की अनुमति दी जा सकती है।

(14) उपरोक्त मुद्दे के उत्तर से निपटने से पहले, यहां 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' और 'सेवा छोड़ने के लिए नोटिस' (अर्थात त्यागपत्र) के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना फायदेमंद होगा। विनियम 1964 का विनियम 18(3)(क) 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' के प्रावधान से संबंधित है और इसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "18(3)(क)20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति:
>
> एक बोर्ड कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम 3 महीने का नोटिस देने के बाद, उस तारीख को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है जिस दिन वह 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करेगा या 45 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, जो भी पहले हो या उसके बाद किसी भी तारीख को नोटिस में निर्दिष्ट किया जाना है बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी को बोर्ड के किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की अनुमति रोकने का अधिकार होगा;
>
> i) जो निलंबित है;
>
> ii) जिनके मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या बड़ा जुर्माना लगाने पर विचार किया जा रहा है और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी का मानना है कि ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप निष्कासन या जुर्माना लगाया जा सकता है सेवा से बर्खास्तगी;
>
> iii) जिसके मामले में मुकदमा चलाने पर विचार किया गया हो या न्यायालय में मुकदमा चलाया गया हो।
>
> नोट: अध्यक्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले अधिकारियों के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, जिनके मामलों में बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी है।
>
> (ख) एक बोर्ड कर्मचारी जिसने इस उप-विनियम के खंड (क) के तहत सेवानिवृत्ति की मांग के लिए नोटिस दिया है, वह सेवानिवृत्ति की सूचना की स्वीकृति मान सकता है और सेवानिवृत्ति स्वचालित रूप से नोटिस के संदर्भ में प्रभावी होगी जब तक कि लिखित में कोई आदेश न दिया जाए।

> इसके विपरीत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है और नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले बोर्ड के कर्मचारी को दिया गया है।

इसी तरह, विनियम 1964 का विनियम 16 सेवा छोड़ने अर्थात 'त्यागपत्र' के लिए नोटिस के प्रावधान से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "कोई भी कर्मचारी, सेवा छोड़ने या बंद करने के अपने इरादे के समय उस पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस दिए बिना बोर्ड में सेवा नहीं छोड़ेगा या बंद नहीं करेगा।
>
> बशर्ते कि ऐसे नोटिस को सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से आंशिक या पूर्ण रूप से माफ कर सकता है।

(15) इस मामले में याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए आवेदन किया था लेकिन अनुरोध 5.11.2008 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 13.4.2009 को त्यागपत्र का नोटिस दिया, जिसे 16.5.2009 से 14.5.2009 को स्वीकार कर लिया गया। त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद याचिकाकर्ता ने अपने त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मानने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार त्यागपत्र से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को कम नहीं करता है। याचिकाकर्ता की सेवा उसके त्यागपत्र पर समाप्त हो गई है।

(16) इसी तरह के मुद्दे को माननीय उच्चतम न्यायालय ने <u>बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा और अन्य</u> (2020) 3 एससीसी 346 के मामले में निपटाया था, और इसे पैरा 14 से 15 में माना गया है अंतर्गत:-

> "**14**. इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता. भले ही उन्हें 25 मई 1990 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार कर दिया गया था, पहले प्रत्यर्थी ने इस निर्णय को चुनौती नहीं दी, लेकिन 7 जुलाई 1990 को त्यागपत्र दे दिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार त्यागपत्र से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को कम नहीं करता है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया है कि पहले प्रत्यर्थी ने 25 मई 1990 और 7 जुलाई 1990 के बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार करने का मुद्दा उठाया था। इसके विपरीत, पहले प्रत्यर्थी द्वारा 1 दिसंबर 1992 को भेजे गए कानूनी नोटिस में याचिकाकर्ता, पहले प्रत्यर्थी ने त्यागपत्र देने की बात स्वीकार की। पहली प्रत्यर्थी की रिट याचिका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अंततः त्यागपत्र से इनकार के तेरह वर्ष बाद शुरू की गई थी। इन परिस्थितियों के आलोक में, जब पहले प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया है कि पेंशन लाभ का दावा करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

15. इस मुद्दे पर कि क्या पहले प्रत्यर्थी ने बीस वर्ष की सेवा की है, हमारी राय है कि इस प्रश्न का वर्तमान विवाद पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। भले ही पहले प्रत्यर्थी ने बीस वर्ष की सेवा की हो, सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के तहत त्यागपत्र पर उसकी पिछली सेवा जब्त कर ली जाती है। इसलिए पहला प्रत्यर्थी पेंशन लाभ का पात्र नहीं है।

(17) उपरोक्त निर्णय का अवलोकन इस स्थिति को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार त्यागपत्र से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों को कम नहीं करता है। ऊपर बताई गई परिस्थितियों के आलोक में, जब याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया है कि पेंशन लाभ का दावा करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार को इस न्यायालय के समक्ष लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भले ही याचिकाकर्ता ने तैंतीस वर्ष से अधिक समय तक सेवा की हो, उसके त्यागपत्र पर विनियम 1964 के विनियम 16 के तहत उसकी सेवाएं जब्त कर ली जाएंगी। इसलिए, याचिकाकर्ता पेंशन लाभ का पात्र नहीं है।

(18) अब यह न्यायालय इस याचिका में शामिल मुद्दे पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ती है।

(18.1) माननीय उच्चतम न्यायालय ने एआईआर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और अन्य बनाम कैप्टन गुरदर्शन कौर संधू (2019) 17 एससीसी 129 के मामले में उन परिस्थितियों से निपटा है जिनके तहत एक कर्मचारी अपने द्वारा दिया गया त्यागपत्र वापस ले सकता है और क्या सीमाएं हैं इस तरह के अधिकार के प्रयोग के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा 11 से 12 में दिए गए निर्णयों की संख्या पर विचार करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

"11 किन परिस्थितियों में कोई कर्मचारी अपने द्वारा दिया गया त्यागपत्र वापस ले सकता है और इस अधिकार के प्रयोग की क्या सीमाएँ हैं, इस पर इस न्यायालय ने कई निर्णयों में विचार किया है।

11.1 जय राम बनाम भारत संघ एआईआर 1954 एससी 584 में संबंधित सरकारी कर्मचारी को 26.11.1946 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करनी थी। उन्होंने मौलिक नियम 86 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी के लिए 07.05.1945 को आवेदन किया था। अंततः अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की छुट्टी दी गई जो 25.05.1947 को समाप्त होनी थी। ऐसी समाप्ति से दस दिन पहले अर्थात 16.05.1947 को, उन्होंने एक सूचना भेजी कि वह अपने कर्तव्यों को फिर

से शुरू करेंगे जिसे अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। इस दलील को कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, इस न्यायालय ने खारिज कर दी। यह दलील कि मौलिक नियमों के अध्याय IXके नियम 56(ख)(i) के अनुसार, यदि वह कुशल पाया जाता, तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रह सकता था, खारिज कर दिया गया। यह देखा गया कि जब कोई लोक सेवक स्वयं अब सेवा में बने रहने में असमर्थता व्यक्त करता है और सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति मांगता है, तो उसे 55 वर्ष की आयु के बाद भी जारी रखा जाए या नहीं, यह तय करने के लिए उक्त नियम 56(ख)(i) के संदर्भ में आवश्यक प्रक्रिया की जाती है। वर्षों का उचित निर्णय नहीं लिया गया और उनके लिए सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष होगी। इस संदर्भ में कि क्या वह 16.05.1947 को कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है, यह इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

> "7... यह माना जा सकता है कि यह एक कर्मचार के लिए खुला है, जिसने सेवा से सेवानिवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की है और अपने वरिष्ठ अधिकारी को अपेक्षित अनुमति देने के लिए आवेदन किया है, बाद में अपना मन बदल सकता है और इस प्रकार अनुमति को रद्द करने के लिए कह सकता है। लेकिन उसे तब तक ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है जब तक वह सेवा में बना रहे, सेवा समाप्त होने के बाद नहीं।
>
> जैसा कि हमने ऊपर कहा है, वादी की सेवा 27 नवंबर 1946 को समाप्त हो गई; वह छुट्टी, जो उसे उस तारीख के बाद दी गई थी, सेवानिवृत्ति के बाद की छुट्टी थी जो एफ.आर. में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों के तहत दी गई थी। 86. उन्हें 26.11.1946 के बाद सेवा में बने रहने के लिए नहीं रोका जा सकता था, और परिणामस्वरूप 16.5.1947 को अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए वह सक्षम नहीं थे, भले ही सेवानिवृत्ति के बाद की छुट्टी अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच का निर्णय सही है और इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

11.2 राज कुमार बनाम भारत संघ (1968) 3 एससीआर 857 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित एक अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया और 30.08.1964 को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र संबोधित किया कि इसे राज्य सरकार की टिप्पणियों के साथ भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए। राज्य सरकार ने सिफारिश की कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए और 31.10.1964 को भारत सरकार ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि "याचिकाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त करने की तारीख सूचित करें ताकि उस पर एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सके।" इससे पहले कि तारीख की सूचना दी जाती और औपचारिक अधिसूचना जारी की जाती, अधिकारी ने

दिनांक 27.11.1964 को पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। 29.03.1965 को उनका त्यागपत्र स्वीकार करने का आदेश जारी किया गया। अधिकारी द्वारा उठाई गई चुनौती को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने माना कि त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था। अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा:

"4. याचिकाकर्ता द्वारा 21.8.1964 और 30.8.1964 को लिखे गए पत्रों में यह संकेत नहीं दिया गया कि त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक याचिकाकर्ता को उसकी स्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जाता। याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के अधिकारियों को सूचित किया कि उनका त्यागपत्र शीघ्र स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। पत्रों की स्पष्ट शर्तों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के साथ ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाना था। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कोई नियम नहीं बनाया गया है जो यह कहता है कि त्यागपत्र स्वीकार करने के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, इसे त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए।

5. हमारा ध्यान पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह हरिका एआईआर 1966 एससी 1313 में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि एक प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था और इसे सूचित किए बिना अपनी फाइल पर रखा गया था। संबंधित अधिकारी या अन्यथा इसे प्रकाशित करना उस तारीख से प्रभावी नहीं हुआ जिस दिन आदेश वास्तव में उक्त प्राधिकारी द्वारा लिखा गया था; ऐसा आदेश संबंधित अधिकारी को सूचित किए जाने या अन्यथा प्रकाशित होने के बाद ही प्रभावी हो सकता है। उस मामले के सिद्धांत का यहां कोई अनुप्रयोग नहीं है। सरकार द्वारा पारित आदेश द्वारा रोजगार की समाप्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि कर्मचारी को आदेश की सूचना नहीं दी जाती। लेकिन जहां एक लोक सेवक ने अपने त्यागपत्र के पत्र द्वारा अपने रोजगार का निर्धारण करने के लिए आमंत्रित किया है, उसकी सेवाएं आम तौर पर उस तारीख से समाप्त हो जाती हैं जिस दिन त्यागपत्र उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून या नियम के अभाव में इसके विपरीत, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद लोक सेवक के लिए अपना त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। जब तक त्यागपत्र स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित लोक सेवक के पास अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन उसके बाद नहीं। त्यागपत्र के पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित लोक सेवक को सूचित करने में अनुचित देरी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया

है। वर्तमान मामले में त्यागपत्र भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने के कुछ ही समय के भीतर स्वीकार कर लिया गया था। जाहिर तौर पर राजस्थान राज्य ने आदेश को तुरंत लागू नहीं किया, और याचिकाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया, लेकिन याचिकाकर्ता को स्वीकृति की सूचना देने या अपने कर्तव्यों से मुक्त करने में देरी से कोई लाभ नहीं हो सकता है।"

11.3 भारत संघ और अन्य बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एससीसी 301 में, विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश, जिसने राष्ट्रपति को अपने हाथ से लिखे पत्र में भविष्य की तारीख से पद से त्यागपत्र देने के अपने इरादे को सूचित किया था, करेगा क्या तारीख़ आने से पहले त्यागपत्र वापस लेने में सक्षम होंगे? जय राम एआईआर 1954 एससी 584 और राज कुमार (1968) 3 एससीआर 857 के फैसलों पर विचार किया गया और संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधान के खंड (क) के दायरे से निपटते हुए, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा:

"20. यहां, इस मामले में, हमें प्रावधान के खंड (क) पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस खंड के तहत अपने कार्यकाल को समाप्त करने के लिए, न्यायाधीश को तीन स्वैच्छिक चीजें करनी होंगी: सबसे पहले, उसे "अपने हाथ से लेखन" निष्पादित करना चाहिए। दूसरे, लेखन "राष्ट्रपति को संबोधित" होना चाहिए। तीसरा, उस लेखन के द्वारा उन्हें "अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए"। यदि इनमें से कोई भी काम नहीं किया जाता है, या उनमें से किसी का प्रदर्शन पूरा नहीं होता है, तो खंड (क) उसके कार्यालय के कार्यकाल को कम करने या समाप्त करने के लिए काम नहीं करेगा।

22. यह देखा जा सकता है कि इस तर्क की पूरी इमारत इस धारणा पर आधारित है कि "न्यायाधीश" ने वह सब कुछ पूरी तरह से किया था जो उसे अनुच्छेद 217(1) के परंतुक (क) के तहत करना आवश्यक था। हमने देखा है कि एक न्यायाधीश को अपने एकतरफा कार्य द्वारा अपना कार्यकाल समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे तीन चीजें करनी होती हैं। मौजूदा मामले में, पहले दो के प्रदर्शन के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है, अर्थात्: (i) उन्होंने अपने हाथ से एक पत्र लिखा, (ii) राष्ट्रपति को संबोधित किया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा खड़ी की गई अनुपातिक इमारत के पहले दो स्तंभ मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। लेकिन, क्या तीसरे के बारे में भी यही सच है, जो निर्विवाद रूप से उस भवन का मुख्य सहारा है? क्या यह परंतुक (क) के विचार के तहत त्यागपत्र का एक पूर्ण कार्य है? यह प्राथमिक प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक पाया जाता है, तो अपीलें विफल हो जानी चाहिए। यदि यह नकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय के तर्क की नींव विफल हो

जाएगी और अपील सफल हो जाएगी।"

11.4 तब पैराग्राफ 28 में त्यागपत्र की अवधि और प्रभाव पर विचार किया गया और यह माना गया कि विचाराधीन पत्र केवल भविष्य की तारीख पर कार्यालय से त्यागपत्र देने के लिए एक सूचना या नोटिस था और यह आने से पहले त्यागपत्र वापस लेने के लिए खुला था। भविष्य की तारीख का संकेत दिया। टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं: (गोपाल चंद्र मिश्रा मामला, एससीसी पृष्ठ 311, पैरा 28)

> "28. इस पत्र का मूल भाग (जो इस निर्णय के पिछले हिस्से में पूर्ण रूप से निकाला गया है) केवल तीन वाक्यों से बना है। पहले वाक्य में, यह कहा गया है: 'मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने पद से त्यागपत्र देने की प्रार्थना करता हूं।' यदि यह वाक्य अकेला होता, या इस पत्र की एकमात्र सामग्री होती, तो यह पूर्ण त्यागपत्र के रूप में काम करता। प्रेसेंटी, जिसमें कार्यालय का तत्काल त्याग और न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त करना शामिल है। लेकिन यह ऐसा नहीं है। पहले वाक्य के तुरंत बाद दो और वाक्य आते हैं, जिनमें लिखा है: 'मैं 31.7.1977 तक छुट्टी पर रहूंगा। मेरा त्यागपत्र 1.8.1977 को प्रभावी होगा।' पहले वाक्य को अन्य दो वाक्यों के संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है और अलग से नहीं समझा जा सकता है। इसे अगले दो के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो इसे योग्य बनाते हैं। अपने कार्यकाल के अनुसार समग्र रूप से समझा जाए तो, दिनांक 7.5.1977 का पत्र, भविष्य की तारीख में न्यायाधीश के रूप में अपने पद से त्यागपत्र देने के लेखक के इरादे की एक सूचना या सूचना मात्र है। 1.8.1977. सुविधा के लिए, हम इस संचार को भावी या संभावित त्यागपत्र कह सकते हैं, लेकिन संकेतित भविष्य की तारीख के आने से पहले यह निश्चित रूप से पूर्ण और सक्रिय त्यागपत्र नहीं था, क्योंकि, यह अपने आप में, अलग नहीं हो सकता था और नहीं हो सकता था। लेखक को न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाए, या उसका कार्यकाल उसी रूप में समाप्त कर दिया जाए।"

11.5 न्यायालय ने सिद्धांतों को इस प्रकार बताया:

> "41. उपरोक्त रूपरेखा से जो सामान्य सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में कुछ भी विपरीत न होने पर, पदधारी द्वारा अपने इरादे की लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाती है। या भविष्य में निर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय/पद से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव उसके प्रभावी होने से पहले, अर्थात कार्यालय/पद या रोजगार के कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
>
> 50. यह दोहराया जाएगा कि सामान्य सिद्धांत यह है कि

कानूनी, संविदात्मक या संवैधानिक रोक की अनुपस्थिति में, "संभावित" त्यागपत्र प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, और यह तब प्रभावी होता है जब यह समाप्त करने के लिए कार्य करता है। रोजगार या त्यागपत्र देने वाले का कार्यालय-कार्यकाल सामान्य नियम सरकारी सेवकों और संवैधानिक पदाधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है। एक सरकारी कर्मचारी/या पदाधिकारी/जो अपनी सेवा/या कार्यालय की शर्तों के तहत, त्यागपत्र देने के अपने एकतरफा कार्य द्वारा, अपनी सेवा/या कार्यालय नहीं छोड़ सकता है, के मामले में, आम तौर पर, त्यागपत्र की निविदा प्रभावी हो जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर उसकी सेवा/या कार्यालय-कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, जो एक संवैधानिक पदाधिकारी है और अनुच्छेद 217(1) के परंतुक (क) के तहत उसे अपने पद से त्यागपत्र देने का एकतरफा अधिकार या विशेषाधिकार है, उसका त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है और कार्यकाल उसी तारीख को समाप्त हो जाता है जिसे वह अपनी इच्छा से पद छोड़ने के लिए चुनता है। यदि राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में, वह वर्तमान में त्यागपत्र दे देता है, तो त्यागपत्र उसके कार्यालय-कार्यकाल को तुरंत समाप्त कर देता है, और इसलिए, उसके बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है या रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन, यदि वह इस तरह लिखकर, भविष्य की तारीख से त्यागपत्र देने का विकल्प चुनता है, तो पद से त्यागपत्र देने का कार्य पूरा नहीं होता है क्योंकि इससे उसका कार्यकाल ऐसी तारीख से पहले समाप्त नहीं होता है और न्यायाधीश उस संभावित तारीख के आने से पहले किसी भी समय ऐसा कर सकता है। प्रभावी होने का इरादा था, इसे वापस लें, क्योंकि संविधान ऐसी वापसी पर रोक नहीं लगाता है।

11.6 जय राम एआईआर 1954 एससी 584 में नियम की प्रयोज्यता के संबंध में, यह कहा गया था:

"49. हमारी राय में, जय राम मामले के अनुपात से बाहर होने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त कारणों में से कोई भी वैध नहीं है। सबसे पहले, यह कोई "आकस्मिक" कथन नहीं था। जय राम की ओर से जो दूसरा बिन्दु प्रचारित किया गया था, उसका प्रभावी एवं पूर्ण निस्तारण करना आवश्यक था। इसके अलावा, यही सिद्धांत 1968 में राज कुमार मामले में भी स्पष्ट रूप से दोहराया गया था। दूसरे, चर्चा के तहत बिंदु के प्रयोजन के लिए सेवा/कार्यालय से सेवानिवृत्त होने का प्रस्ताव और भविष्य की तारीख से पद से त्यागपत्र देने की निविदा, एक ही स्तर पर खड़ी है। तीसरा, जिस मामले में त्यागपत्र स्वीकार करना आवश्यक है और जहां स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बीच अंतर, जय राम मामले में नियम की प्रयोज्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता

है।

11.7 बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ 1987 (सप्लीमेंट) एससीसी 228 में संबंधित अधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो डिवीजन में अकाउंटेंट था। यह मानते हुए कि यह मामला राज कुमार (1968) 3 एससीआर 857 और गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एससीसी 301 में इस न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों पर विचार किया और कहा:

> "12. इस मामले में दिशानिर्देश यह हैं कि आम तौर पर अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि संबंधित अधिकारी यह दिखाने की स्थिति में न हो कि जिन परिस्थितियों पर विचार करते हुए मूल रूप से नोटिस दिया गया था, उनमें कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है। मौजूदा मामले के तथ्यों में ऐसा संकेत दिया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्टाफ सदस्यों के लगातार और व्यक्तिगत अनुरोध पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विचार छोड़ दिया था। हम नहीं समझते कि यह कैसे एक अच्छा और वैध कारण नहीं हो सकता। यह सच है कि वह त्यागपत्र दे रहे थे और त्यागपत्र के नोटिस में उन्होंने यह बताने के अलावा कोई कारण नहीं बताया था कि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं। हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। आधुनिक युग में हमें लोगों की पसंद या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हालाँकि, यदि प्रशासन ने उनके त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति पत्र पर कार्रवाई करते हुए अन्य कर्मचारियों को उनकी नौकरी के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की होती, तो यह एक अलग बात होती, लेकिन याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की पेशकश और उसे वापस लेने की पेशकश इतनी जल्दी हुई कि ऐसा नहीं हो सका। कहा जा सकता है कि इससे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था या व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रशासन को अब अपने ही रवैये से मामले को संप्रेषित करने में काफी समय लग गया है। इसके लिए प्रत्यर्थी दोषी है, याचिकाकर्ता नहीं।

11.8 भारत संघ और अन्य बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एससीसी 301 में निर्धारित सिद्धांत का इस न्यायालय ने पी. कासिलिंगम बनाम पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (1981) 1 एससीसी 405; पंजाब नेशनल बैंक बनाम पी.के. मित्तल (1989) सप्ल 2 एससीसी 175, मोती राम बनाम परम देव (1993) 2 एससीसी 725, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रमोद कुमार भाटिया (1997) 4 एससीसी 280, नंद केश्वर प्रसाद बनाम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉप लिमिटेड (1998) 5 एससीसी 461, जे.एन. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य (1998) 9 एससीसी 559, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम विंग कमांडर टी. पार्थसारथी (2001) 1 एससीसी 158, शंभु मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (2002) 3 एससीसी 437, बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ.पी. स्वर्णकार (2003) 2 एससीसी 721, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम

सेसिल डेनिस सोलोमन (2004) 9 एससीसी 461, श्रीकांत एस.एम. बनाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 314, सचिव, तकनीकी शिक्षा, उ.प्र. और अन्य. बनाम ललित मोहन उपाध्याय (2007) 4 एससीसी 492, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह नारंग और अन्य (2010) 5 एससीसी 335 और भारत संघ और अन्य बनाम हितेंद्र कुमार सोनी (2014) 13 एससीसी 204 में पालन किया गया है।

11.9 पंजाब नेशनल बैंक बनाम पीके मित्तल (1989) मामले में बैंक के एक स्थायी अधिकारी ने पीएनबी (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20 के अनुसार 21.01.1986 को त्यागपत्र भेजा, जो 30.06.1986 से प्रभावी होना था। दिनांक 07.02.1986 के पत्र द्वारा, उन्हें सूचित किया गया कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। अधिकारी द्वारा 15.04.1986 को इस्तीफा वापस ले लिया गया था। इसलिए यह मुद्दा उक्त विनियम 20 के संदर्भ में उठा, क्या अधिकारी इस्तीफा वापस ले सकता है। विनियम 20 निम्नानुसार था:

> "20. (1) विनियम 16 के उप-विनियमन (3) के अधीन रहते हुए, बैंक किसी भी अधिकारी को लिखित में तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले में तीन महीने की परिलब्धियों का भुगतान करके उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।
>
> (2) कोई भी अधिकारी ऐसे त्यागपत्र की लिखित सूचना के बैंक में सेवा से तीन महीने की समाप्ति के अलावा अन्यथा बैंक की सेवा से त्यागपत्र नहीं देगा:
>
> बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि कम कर सकता है, या नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

11.10 प्रस्तुतीकरण कि विनियम का खंड (2) 20 और इसके प्रावधानों का उद्देश्य केवल बैंक के हितों की रक्षा करना था और इस तरह बैंक उस तारीख से पहले त्यागपत्र स्वीकार कर सकता था जब यह प्रभावी होना था जिसे इस न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में खारिज कर दिया था:

> "7. डॉ. आनंद प्रकाश ने इस बात पर बल दिया कि चूँकि खंड (2) और उसके परंतुक का उद्देश्य केवल बैंक के हितों की रक्षा करना है, इसलिए उनकी व्याख्या उनके द्वारा सुझाई गई पंक्तियों के अनुसार की जानी चाहिए। हमारी राय है कि विनियम का कारण (2) और उसका प्रावधान न केवल बैंक की सुरक्षा के लिए है बल्कि कर्मचारी के लाभ के लिए भी है। यह सामान्य ज्ञान है कि त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति अक्सर इस निर्णय में डगमगा जाता है और यहां तक कि ऐसे मामले में जहां उसने त्यागपत्र देने का दृढ़ निर्णय ले लिया है, वह तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। ज्यादातर मामलों में उसे समायोजन की अवधि की आवश्यकता होगी और इसलिए वह विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से कर्तव्यों से राहत की वास्तविक तारीख को कुछ महीनों के लिए

टालना चाहेगा। समान रूप से एक नियोक्ता त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समय देना चाह सकता है। इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खंड (2) को सावधानीपूर्वक लिखा गया है। यह कर्मचारी को समायोजन और पुनर्विचार की अवधि देता है। यह बैंक को अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय देने में भी सक्षम बनाता है, साथ ही, उचित मामले में, यदि कोई कर्मचारी चाहे तो अपेक्षित नोटिस के बिना भी उसका त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। हमारी राय में प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि यह किसी बैंक को किसी कर्मचारी पर उस तारीख से भिन्न तारीख से त्यागपत्र देने में सक्षम बनाता है, जिस दिन वह विनियमन की शर्तों के तहत अपने त्यागपत्र को प्रभावी बना सकता है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि वर्तमान मामले में कर्मचारी का त्यागपत्र केवल 21-4-1986 या 30-6-1986 को प्रभावी हो सकता था और बैंक इसे "स्वीकार" नहीं कर सकता था। किसी भी पूर्व तिथि पर त्यागपत्र. इसलिए दिनांक 7-2-1986 का पत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

8. उपरोक्त व्याख्या का परिणाम यह है कि कर्मचारी 21-4-1986 या 30-6-1986 तक सेवा में रहा, जिस तारीख को उसके पत्र दिनांक 211-1986 के अनुसार उसकी सेवाएँ सामान्य रूप से समाप्त हो जातीं लेकिन, तब तक उन्होंने त्यागपत्र वापस लेने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया था. चूँकि त्यागपत्र प्रभावी होने से पहले लिखा गया था, इसलिए त्यागपत्र वापस ले लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी बैंक की सेवा में बना रहेगा। यह सच है कि नियमों में कर्मचारी को त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति देने वाला कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कोई विशिष्ट नियम हो। जब तक विनियम 20 के साथ पढ़े गए पत्र की शर्तों पर त्यागपत्र प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारी के लिए, सामान्य सिद्धांतों पर, अपना त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार खुला है। इसीलिए, सार्वजनिक सेवाओं के कुछ मामलों में, वापसी का यह अधिकार भी नियोक्ता की अनुमति के अधीन कर दिया गया है। यहां ऐसी कोई धारा नहीं है। इस बिंदु पर अधिक चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह राज कुमार बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा और बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के पहले के निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

12. इस प्रकार यह सुस्थापित है कि आम तौर पर, जब तक त्यागपत्र प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक कर्मचारी अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए स्वतंत्र होता है। त्यागपत्र कब प्रभावी होगा यह शासकीय सेवा नियमों और/या कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों पर निर्भर हो सकता है। जैसा कि गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एससीसी 301 में पैराग्राफ 41

> और 50 में कहा गया है, "कार्यालय/पद के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी भी विपरीत चीज़ के अभाव में" या "कानूनी अनुबंध के अभाव में" या संवैधानिक रोक के तहत 'संभावित त्यागपत्र' प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है"। इसके अलावा, जैसा कि बलराम गुप्ता 1987 (सप्प) एससीसी 228 में कहा गया है, "यदि, हालांकि, प्रशासन ने उनके त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति पत्र पर कार्रवाई करते हुए अन्य कर्मचारी को उनकी नौकरी के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की होती, तो यह एक अलग मामला होता।"

(19) माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से, कानूनों की स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी कर्मचारी अपना त्यागपत्र प्रभावी होने से पहले किसी भी स्तर पर वापस ले सकता है। मेसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड बनाम श्रीकांत आर्य, सिविल अपील संख्या 5655/2021 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एआईआर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.) के निर्णय के बाद 27.9.2021 को निर्णय लिया है। यह माना गया कि कर्मचारी के पास बाद में त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार है क्योंकि पार्टियों के बीच न्यायिक संबंध उसके त्यागपत्र की वास्तविक तारीख तक जारी रहता है। याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं।

(20) याचिकाकर्ता ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और उसे 14.5.2009 को स्वीकार कर लिया गया। 16.5.2009. अब याचिकाकर्ता अपने ही कृत्य से परेशान है और वह यह कहकर अपने ही कृत्य को चुनौती नहीं दे सकता कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण और अवसाद में आकर उसने त्यागपत्र दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बी.एल. के मामले में निर्णय के पैरा 20 में रोक के नियम पर विचार किया है। श्रीधर एवं अन्य बनाम के.एन. मुनिरेड्डी और अन्य ने (2003) 2 एससीसी 355 (सुप्रा.) में रिपोर्ट की, जो इस प्रकार है:-

> "30. यदि किसी व्यक्ति ने शब्दों या आचरण से यह सूचित किया है कि जो कार्य किया गया है, उसमें उसकी सहमति है और वह इसका कोई विरोध नहीं करेगा, हालाँकि यह उसकी सहमति के बिना कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता था, और वह इस प्रकार दूसरों को इसके लिए प्रेरित करता है वह करें जिससे अन्यथा वे परहेज कर सकते थे, वह उन लोगों के पूर्वाग्रह के कारण उनके द्वारा स्वीकृत किए गए कार्य की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकते, जिन्होंने उनके शब्दों पर या उनके आचरण से निकाले जाने वाले उचित निष्कर्ष पर विश्वास किया है।

(21) दिनांक 13.4.2009 के त्यागपत्र के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता

ने इसे सामान्य प्रक्रिया में स्वेच्छा से प्रस्तुत किया था और इसे प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 14.5.2009 के आदेश के तहत स्वीकार कर लिया गया था। 16.5.2009 और यह आदेश/निर्णय याचिकाकर्ता को सूचित किया गया। अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी को उसके त्यागपत्र को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन के रूप में मानने और उसे सेवा और परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश के साथ पुनः रोजगार की मांग कर रहा है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को प्रत्यर्थी ने 5.11.2008 को अस्वीकार कर दिया था। अब याचिकाकर्ता का त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद उसे मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता का कृत्य त्याग के समान है। इसे अलग ढंग से कहें तो, "त्यागपत्र" शब्द का अर्थ किसी कार्यालय के संबंध में अपने स्वयं के अधिकार का त्याग करना है। स्पष्ट रूप से कहें तो, याचिकाकर्ता का दिनांक 13.4.2009 का त्यागपत्र बिना शर्त है और इस तरह से काम करने के इरादे से है। किसी सार्वजनिक कार्यालय का "त्यागपत्र", जब कार्यालय छोड़ने के इरादे से कार्य त्याग के साथ दिया जाता है, तो इसके अलावा कुछ भी आवश्यक नहीं होता है। एक बार त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(22) किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो रिट याचिका में कोई दम नहीं है। ठीक है, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

संबद्ध स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई हो तो लंबित) भी खारिज कर दिए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

.db/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।